

फा.सं.7.5(1)/2021-एम एंड एम
संघ लोक सेवा आयोग
शाहजहां रोड, धौलपुर हाउस
नई दिल्ली – 110069

ऑनलाइन निविदा पूछताछ (ई-निविदा)

संघ लोक सेवा आयोग परिसर में नए कोरोना वायरस रोग (कोविड 19) के प्रसार को रोकने के लिए यंत्रीकृत इनडोर सैनिटाइजेशन / कीटाणुशोधन स्प्रे / फॉगिंग सेवा प्रदान करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य भवन, एनेक्सी भवन, आयोग सचिवालय भवन, परीक्षा भवन के कार्यालयों, कैंटीन, सुविधा केंद्रों, संग्रहालय, डाकघर, बैंक, सीआईएसएफ पोर्टा केबिन, मानवयुक्त सीपीडब्ल्यूडी सबस्टेशन, पंप हाउस, जाम नगर हाउस के कार्यालयों जिनमें विभागीय रिकार्ड अनुभाग, रिक्रिएशन क्लब, सीआईएसएफ बैरक शामिल हैं, संघ लोक सेवा आयोग के भवनों/परिसर के अंदर यंत्रीकृत इनडोर सैनिटाइजेशन/कीटाणुशोधन स्प्रे/फॉगिंग सेवा हेतु ऑनलाइन निविदा/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। इस परिसर में दो गेस्ट हाउस हैं, जिनमें स्वागत कक्ष, रसोईघर, डाईनिंग हॉल, सुईट, कमरे, शौचालय, आदि हैं जो किसी भी सामान्य गेस्ट हाउस के लिए आवश्यक हैं। 25 कमरों वाला गेस्ट हाउस (सलाहकार कक्ष) आयोग सचिवालय भवन का एक हिस्सा है और 17 कमरों वाला दूसरा कैंटीन भवन का एक हिस्सा है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले कार्यालय परिसर में आकर इनडोर / आउटडोर क्षेत्र और सरकारी वाहन/किराये पर लिए गए वाहनों, आदि का निरीक्षण कर लें। पूर्ण निविदा दस्तावेज केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) के वेबसाइट <http://eprocure.gov.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा आमंत्रण सूचना से संबंधित क्रिटिकल डेटशीट निम्नानुसार है:-

प्रकाशन की तारीख	01.02.2022
बोली दस्तावेजों को डाउनलोड / बिक्री शुरू करने की तारीख	01.02.2022
बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तारीख	01.02.2022
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	22.02.2022
बोली खोलने की तारीख	23.02.2022

2. सैनिटाइजेशन / कीटाणुशोधन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा अनुमोदित कीटाणुशोधन जैसे ओक्सीविर या वीरेक्स II-256 या अलस्टसन सिलवोक्स 150 का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। अन्य ब्रांड के अंतर्गत समान फॉर्मूलेशन

वाले कीटाणुशोधन पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, बोलीदाता को यह सिद्ध करना होगा कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कीटाणुशोधनों (नि.आ.सू.) में उल्लिखित कीटाणुशोधन से बेहतर है। इन तीन कीटाणुशोधन में से कीटाणुशोधन का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा। वेंडर को प्रत्येक कीटाणुशोधन के लिए सेनिटाइजेशन दर का उल्लेख करना होगा और शीघ्र उपलब्धता के लिए अपने भंडार में पर्याप्त स्टॉक रखना होगा। केवल विरल / असाधारण परिस्थितियों में ही, वेंडर को आयोग के अनुमोदन के पश्चात उपर्युक्त विनिर्दिष्ट के अलावा कोई दूसरा कीटाणुशोधन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। ऐसी परिस्थितियों में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक कीटाणुशोधन का प्रभाव/असर पहले जैसा या उससे बेहतर होना चाहिए। बोलीदाताओं को फ्यूमिगेशन के बाद कमरों / परिसर को फिर खोलने के संबंध में सेनिटाइजर / कीटाणुशोधन निर्माता द्वारा अनुशंसित अवधि (घंटों में) के बारे में अपनी तकनीकी बोली के **अनुबंध 1** में (तकनीकी बोली का हिस्सा) निर्दिष्ट करना होगा।

3. निविदा की वैधता

3.1 यह निविदा पीबीजी की पूर्ति के अध्यक्षीन संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

3.2 यह कार्य महामारी के बढ़ने पर निर्भर होने के कारण, आयोग के विवेक पर समान निबंधन एवं शर्तों पर संविदा को एक और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है जो उसके संतोषजनक कार्य-निष्पादन के अध्यक्षीन होगा। संविदा को 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त भी किया जा सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. सुपुर्दगी अनुसूची

4.1 सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान किए जाने के तुरंत बाद सेवा आरंभ करनी होगी। चूंकि महामारी की मौजूदा स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सेवाएं शुरू करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अतः सिर्फ वही बोलीदाता आवेदन करें जिनके पास पहले से पर्याप्त अपेक्षित मानवशक्ति, सामग्री और तत्काल संसाधनों को लगाने की विशेषज्ञता हो। बोलीदाता कई क्लाइंट्स के साथ व्यस्तता की दलील नहीं देगा।

4.2 चूंकि सं.लो.से.आ. का कार्यालय बहुत बड़ा है, अतः सफल बोलीदाता को उपयुक्त समय में पूरे परिसर को कवर करने के लिए स्वतंत्र सेनिटाइजिंग मशीनों के साथ कई टीम/कर्मचारी तैनात करना होगा। **किसी भी स्थिति में तीन स्वतंत्र टीमों से कम की तैनाती नहीं करनी होगी।**

5. धरोहर राशि

5.1 सचिव, सं.लो.से.आ. के नामे दिल्ली/नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चेक के रूप में 25,000/- रुपये (पच्चीस हज़ार रुपये) की धरोहर जमा राशि (ईएमडी)। मूल ईएमडी व्यक्तिगत रूप से संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र (गेट सी) पर स्थित ड्रॉप बॉक्स में से (सिर्फ 3:00 बजे तक) के बीच डाली जा सकती है। ईएमडी की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड की जानी चाहिए। ईएमडी में छूट का दावा करने वाले बोलीदाताओं को उसके समर्थन में प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। ईएमडी/ईएमडी छूट प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहने पर सफल बोलीदाता की उपर्युक्त ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

6. पात्रता मानदंड

- 6.1 बोलीदाता को पंजीकृत और कम से कम पांच सालों से रोडेंट एंड पेस्ट सर्विसेज प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
- 6.2 बोलीदाता के पास अनिवार्य रूप से कीटनाशक / कीटाणुनाशक / रसायन / सैनिटाइजेशन स्प्रे के लिए अनिवार्य रूप से उचित एवं वैध सरकारी लाइसेंस होना चाहिए (संलग्न किए जाने वाले लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति)।
- 6.3 बोलीदाता के पास प्रतिष्ठित अस्पतालों, सरकारी मंत्रालयों / विभागों इत्यादि में कृतक (Rodent) एवं पेस्ट सेवाओं अथवा कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे सेवाएं प्रदान करने में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसके प्रमाण हेतु खरीद/ कार्य आदेश की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- 6.4 केवल एक संगठन से ही आदेश प्राप्त होने के मामले में संविदा मूल्य संबंधी अनुसमर्थक दस्तावेज़ 20 लाख रूपए का होना चाहिए।

अथवा

दो अलग-अलग संगठनों से प्राप्त होने पर प्रत्येक 12 लाख रूपए के दो आदेश होने चाहिए।

अथवा

तीन अलग-अलग संगठनों से तीन आदेश प्राप्त होने पर प्रत्येक 10 लाख रूपए के होने चाहिए।

- 6.5 निविदा में भाग लेने वाले बोलीदाता के क्षेत्र संचालन दिल्ली / एन सी आर में होने चाहिए और दिल्ली / एन सी आर में कार्य संचालन की देख-रेख / निष्पादन किए

जाने हेतु दिल्ली / एन सी आर में उनका कार्यात्मक पंजीकृत कार्यालय / क्षेत्रीय / जोनल/ स्थानीय कार्यालय अवश्य होना चाहिए। जिन फर्मों के पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय अथवा कार्पोरेट कार्यालय दिल्ली / एन सी आर से बाहर हैं उनके कार्यात्मक क्षेत्रीय / जोनल / स्थानीय कार्यालय दिल्ली / एन सी आर में अवश्य होने चाहिए ताकि वे दिल्ली / एनसीआर में कार्य संचालन की देख – रेख / कार्यनिष्पादन कर सकें। इस संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए ।

6.6 फर्म का औसत वार्षिक कारोबार 20 लाख रूपए से अधिक का होना चाहिए। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के प्रत्येक वर्ष के लाभ / हानि विवरण के साथ बैलेंस शीट की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

6.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवेदन करने वाले बोलीदाता के पास वैध पैन नं. और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए । बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न की जाए:

6.7.1 ईएमडी / ईएमडी से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि लागू हो तो।

6.7.2 फर्म के जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

6.7.3 फर्म के आयकर पैन नं. की प्रति।

6.7.4 पिछले तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के आयकर रिटर्न की प्रति।

6.7.5 अनुबंध-II के अनुसार वचनपत्र कि इस फर्म को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

6.7.6 अनुबंध-II के अनुसार घोषणा –पत्र

7. कार्य- क्षेत्र

7.1 आयोग का कार्यालय लगभग 7.25 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिसमें से अनुमानित कार्पेट एरिया लगभग 4 लाख वर्ग फीट है (चैंबर, प्रसाधन, कॉरीडोर, सीढियां इत्यादि सहित)। इसके अलावा 22 स्टॉफ वाहन हैं, उन्हें भी सैनिटाइज / डिसइंफेक्ट किया जाएगा। भवनवार संभावित कारपेट एरिया का विवरण तालिका-1 में नीचे दिया गया है :-

तालिका-1

क्रम सं.	भवन का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
1.	मुख्य भवन	55,819
2.	एनेक्सी भवन	49,522
3.	परीक्षा हॉल भवन	86,345
4.	आयोग सचिवालय भवन (जिसमें नया सलाहकार कक्ष भी शामिल है)	1,75,890
5.	पुराना सलाहकार सुईट, कैंटीन-ए, कैंटीन-बी	11,765
6.	जाम नगर हाऊस	4,500
7.	अन्य क्षेत्र जैसे कि कैंटीन और पैसेज, लिफ्ट, लिफ्ट लॉबी, कूलिंग प्लांट, ए सी प्लांट, मानवयुक्त सबस्टेशन, सीआईएसएफ कोथ, पंप हाऊस, म्यूजियम, स्वागत कक्ष गेट-सी, सीआईएसएफ मोर्चा इत्यादि।	16,159
8.	22 स्टाफ कार* (प्रत्येक वाहन की औसत लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 7 फीट)	2,310
कुल =4 लाख वर्ग फीट (लगभग)		

* लगभग 4 लाख वर्ग फुट के कुल कार्पेट एरिया में से वेंडरों को केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए बिल जमा करना होगा, जिसे वास्तव में सैनिटाइज / फ्यूमिगेट किया गया है और संबंधित संपदा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यदि और अधिक संख्या में वाहनों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता होती है तो वाहन के वर्ग फीट औसत क्षेत्रफल के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

7.2 शुरूआत में, कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे को प्रति सप्ताह कम से कम एक बार करने की योजना बनाई गई। इसकी बारंबारता को आयोग की आवश्यकता / संबंधित सरकारी विभाग से प्राप्त अनुदेशों और / अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने अथवा कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। आयोग की आवश्यकता के अनुसार इस कार्य का दिन और समय सुनिश्चित किया जाएगा। इसका दिन और समय, प्रयोग किए जाने वाले कीटाणुनाशक के प्रकार, कमरे आदि को बंद करने की आवश्यकता आदि जैसे विचारों से प्रभावित हो सकते हैं।

7.3 सैनिटाइजेशन / कीटाणुशोधन का वास्तविक दिन / समय, संघ लोक सेवा आयोग के एमएम अनुभाग के प्राधिकृत कार्मिक द्वारा समन्वित किया जाएगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

7.4 कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सभी स्थानों जैसे मेजों, कुर्सियों, अलमारियों के नीचे, फाइलों के ढेर के ऊपर और उसके आसपास और लकड़ी के फर्नीचर, सीढ़ियों, लिफ्ट की लॉबियों, विभिन्न लिफ्ट, सभी शौचालयों, नालियों, स्टोर तथा फर्नीचर के नीचे का छिपा हुआ स्थान आदि का कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए और कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए।

8. अन्य निबंधन व शर्तें:

8.1 बोलीदाता, स्प्रे / फ्यूमिगेशन के घोल को विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगा, यानी यदि विनिर्माता यह निर्देश देता है कि उपयोग से पहले इसे पानी मिलाकर पतला किया जाना है तो निर्माता के निर्देशानुसार ऐसा किया जाएगा। यदि फार्मूलेशन (घोल) उपयोग किए जाने के लिए तैयार है और विनिर्माता द्वारा इसे पतला करने की सलाह नहीं दी जाती है, तो इसका उपयोग उसी रूप में किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए बोलीदाता विनिर्माता दस्तावेजों को संघ लोक सेवा आयोग के साथ साझा करेगा। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि, केवल वही फर्म इसमें भाग लें जिनके पास पूरी जानकारी और तकनीकी ज्ञान हो। इसे साबित करने में विफल रहने पर संविदा रद्द/ समाप्त कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।

8.2 कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों को तैयार करने / पानी से पतला करने का कार्य, एमएम अनुभाग द्वारा प्रतिनियुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी के सामने संघ लोक सेवा आयोग परिसर के भीतर किया जाना चाहिए। बोलीदाता कीटाणुशोधन प्रक्रिया के संबंध में सभी 'क्या करें और क्या न करें' (Do's & Dont's) साझा करेंगे।

8.3 यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह उचित समय में काम पूरा करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति, उपकरण और सामग्री उपलब्ध करें। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग का परिसर काफी बड़ा है, अतः न्यूनतम तीन स्वतंत्र टीमों या उससे अधिक, जैसा भी उचित समझा जाए, तैनात किया जा सकता है।

- 8.4 कार्य के लिए तैनात कर्मी, उचित वर्दी में होंगे और हमेशा फर्म द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र धारण करेंगे । इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- 8.5 फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह सफाई और कीटाणुशोधन स्प्रे के लिए तैनात अपने कार्मिकों को कीटाणुशोधन निर्माता के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने, फेस कवर, चश्मा आदि सहित पर्याप्त **सुरक्षा उपकरण किट** प्रदान करे।
- 8.6 बोलीदाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली स्प्रे / फॉगिंग मशीन की तकनीकी आवश्यकताएं और क्षमता, प्रयुक्त किए जा रहे कीटाणुनाशक और क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयुक्त हैं। **इनडोर फॉगिंग मुख्य रूप से एयरोसोल आकार के लिए उपयुक्त सेटिंग में यूएलवी टाइप फॉगिंग मशीन सेट का उपयोग करके की जाएगी।**
- 8.7 इनडोर क्षेत्रों में फ्यूमिगेटिंग / छिड़काव के लिए, अधिमानतः बिजली से चलने वाली मशीनों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल/ केरोसिन मशीनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं / वाष्पों (फ्यूम्स) से बचा जा सके।
- 8.8 बोलीदाता किसी अन्य फर्म के साथ कार्य की उप-संविदा नहीं करेगा । यदि ऐसा पाया जाता है, तो परिणामस्वरूप संविदा समाप्त कर दी जाएगी और कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 8.9 संघ लोक सेवा आयोग में सेवाएं प्रदान करते हुए बोलीदाता के किसी कर्मचारी/ उपकरणों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के हादसे के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
- 8.10 **संघ लोक सेवा आयोग परिसर का व्यक्तिगत दौरा:** बोलीदाताओं को पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले कार्यालय परिसर का दौरा करें और इनडोर क्षेत्र/ आउटडोर क्षेत्र और सरकारी वाहनों/ किराए के वाहनों का निरीक्षण आदि करके कार्य की मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता ईएम और एमओ से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही 07.02.2022 से 11.02.2022 तक प्रातः 11 बजे से 12.00 बजे के बीच निरीक्षण कर सकते हैं।

9. निविदा आमंत्रण सूचना का प्रस्तुतीकरण

- 9.1 बोलियों को निम्नलिखित दो लिफाफों में ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
- 9.2 तकनीकी बोली: पहली बोली में **उपर्युक्त पैरा सं. 6** में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी रूप से अनुमोदित होंगी। निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुरक्षित नहीं की गई किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 9.3 वित्तीय बोली: दूसरी बोली में "वित्तीय बोली" होनी चाहिए। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऑन-लाइन उपलब्ध **बीओक्यू फॉर्म** में अपनी वित्तीय बोली प्रस्तुत करें। बोलीदाताओं को इनडोर क्षेत्रों सहित कार्यालय क्षेत्रों/ वाहनों आदि के लिए अपनी वित्तीय बोली ऑनलाइन बीओक्यू में प्रस्तुत करनी होगी।
- 9.4 बीओक्यू में सूचीबद्ध सभी मदों के लिए दरों को उद्धृत करना अनिवार्य है। अपूर्ण बीओक्यू/ मूल्य बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 9.5 फर्म द्वारा उद्धृत कीटाणुशोधन/ सैनिटाईजेशन स्प्रे के लिए दरें वाजिब और उचित होनी चाहिए। फर्म संलग्न घोषणा (अनुबंध II) में इस आशय का शपथपत्र देगी कि समान कार्य के लिए उनके द्वारा उद्धृत दरें किसी अन्य मंत्रालय/ सरकारी संगठन के लिए उनके द्वारा उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।

10. वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन-

- 10.1 बोलीदाताओं द्वारा अपनी वित्तीय बोलियों (अनुबंध-III) में उद्धृत समग्र दरों के कुल योग के न्यूनतम के आधार पर एल-1 बोलीदाता का निर्धारण किया जाएगा।
- 10.2 दो और दो से अधिक बोलीदाताओं द्वारा एक समान न्यूनतम दरें उद्धृत करने की स्थिति में, उनमें से उस फर्म को संविदा प्रदान की जाएगी जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक वार्षिक कारोबार होगा।

11. कार्य निष्पादन सुरक्षा धनराशि:

सफल बोलीदाता (एजेंसी) को "कार्य निष्पादन सुरक्षा धनराशि" के रूप में निविदा की कुल अनुमानित लागत का 7% डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर या सावधि जमा के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नामे जमा करना होगा। "कार्य निष्पादन सुरक्षा

राशि" सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

12. सामान्य निबंधन और शर्तें:

12.1 एजेंसी को कार्य आदेश पत्र जारी करने के सात दिनों के भीतर कार्य आदेश पत्र स्वीकार करना अपेक्षित होगा।

12.2 यह कार्य महामारी बढ़ने पर निर्भर होने के कारण, आयोग के विवेक पर समान निबंधन एवं शर्तों पर संविदा को एक और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है जो उसके संतोषजनक कार्य-निष्पादन के अध्यक्षीन होगा। संविदा को 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त भी किया जा सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12.3 श्रम / परिवहन आदि के कारण कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

12.4 काम पूरा होने के बाद, अनुरक्षित जॉब कार्ड / वर्कशीट को वरिष्ठ संपदा बैठक एवं रखरखाव अधिकारी (वरि. ईएम और एमओ) / ईएम और एमओ / केयरटेकर / मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर (वाहनों के लिए) द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जा सकता है। जॉब कार्ड / वर्कशीट को वरिष्ठ ईएम और एमओ / ईएम और एमओ / केयरटेकर / मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के हस्ताक्षर के बिना भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.5 एजेंसी द्वारा कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे के लिए तैनात कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन स्प्रे के काम में प्रशिक्षित होना चाहिए और उनका आचरण सही होना चाहिए, उन्हें काम के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी पुरानी या संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि तैनाती किए गए किसी भी कर्मचारी में बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहने या साँस लेने में कठिनाई के लक्षण हैं, तो उसे कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे का काम करने से रोकना होगा तथा उस स्थिति में शारीरिक रूप से ठीक और स्वस्थ व्यक्ति को तैनात किया जाना चाहिए।

12.6 सं.लो.से.आ. की सुरक्षा हेतु आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों / ऑपरेटरों द्वारा ही कार्य किया जाएगा। एजेंसी पहले ही काम करने के लिए गेट पास आदि जारी

करने हेतु अपने अधिकृत कर्मचारियों की सूची उनके परिचय पत्र सहित आयोग को प्रदान करेगी।

12.7 एजेंसी, भारत सरकार / श्रम मंत्रालय / औद्योगिक कानून के सभी वर्तमान और समय-समय पर संशोधित होने वाले वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। आयोग न तो इसके लिए जिम्मेदार होगा और न ही कोई खर्च वहन करेगा।

12.8 आदेशानुसार सफल बोलीदाता द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराने पर सभी बोलीदाताओं की ईएमडी तत्काल वापस कर दी जाएगी। यदि सफल बोलीदाता कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उस बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और उस फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

13. शास्ति:

13.1 यदि आयोग द्वारा एजेंसी के कार्य निष्पादन को असंतोषजनक पाया जाता है, तो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास किसी भी समय निविदा के संपूर्ण या किसी भाग को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

13.2 निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, और यदि कार्य दोषपूर्ण पाया जाता है या इस कार्यालय की संपूर्ण संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया जाता है, तो सचिव, सं. लो. से. आ. को संविदा रद्द करने और वैकल्पिक व्यवस्था करने और अनुबंध के तहत इस कार्यालय द्वारा रखे गए बिल या सुरक्षा राशि से होने वाली हानि की वसूली करने का अधिकार होगा।

13.3 यदि एजेंसी के कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों जैसे फेस मास्क, दस्ताने, फेस कवर ग्लास आदि के बिना पाया जाता है, तो उस विशेष महीने के कुल बिल राशि में से उस दिन के लिए प्रति व्यक्ति प्रति अवसर 100/-रू. की शास्ति लगाई जाएगी। एजेंसी के ऐसे कर्मचारी को संघ लोक सेवा आयोग परिसर से बाहर निकाला जा सकता है और घटना को असंतोषजनक माना जाएगा।

13.4 यदि किसी महीने में दो अवसरों पर असंतोषजनक कार्य निष्पादन देखा जाता है, तो उस विशेष महीने में कुल बिल राशि में से 5% की कटौती की जाएगी।

13.5 यदि किसी महीने में दो से अधिक अवसरों और तीन अवसरों पर असंतोषजनक कार्य निष्पादन देखा जाता है, तो उस विशेष महीने में कुल बिल राशि में से 20% की कटौती की जाएगी।

14. भुगतान:

14.1 एजेंसी काम पूरा होने के बाद मासिक आधार पर संतोषजनक कार्य प्रमाणन के साथ अपना बिल जमा कर सकती है। जैसा कि पैरा 7.1 (उपर्युक्त) में उल्लेख किया गया है, वेंडर 4 लाख वर्ग फीट के कुल कार्पेट क्षेत्र में से उस क्षेत्र के लिए बिल पेश करेगा जिसे वास्तव में सेनिटाइज/फ्यूमिगेट किया गया है और संबंधित संपदा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

14.2 वरिष्ठ ईएम और एमओ / ईएम और एमओ / केयरटेकर / मोटर परिवहन सुपरवाइजर आदि से संतोषजनक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वास्तविक आधार अर्थात् वास्तव में सैनिटाइज किए गए क्षेत्र के आधार पर भुगतान जारी किया जाएगा।

14.3 भुगतान अंतिम रूप से लागू दरों और करों के अनुसार किया जाएगा।

ह./-

अवर सचिव / परामर्शदाता (एम एंड एम)

अनुबंध - I

विनिर्माता द्वारा संस्तुत की गई
आइसोलेशन अवधि का समय

तकनीकी बोली

क्र.सं.	कीटाणुनाशक / सैनिटाइजेशन स्प्रे सर्विस हेतु रसायन का नाम	विनिर्माता द्वारा सिफारिश की गई आइसोलेशन अवधि का समय
(i)	(ii)	(iii)
1.	सेप्टोशील्ड डीएस	
2.	विरेक्स-II/256 (VIREX-II/256)	
3.	एल्सटासन सिलवोक्स 150 (Alstasan Silvox 150)	

टिप्पणी : - अन्य ब्रांड के समान फार्मूलेशन वाले कीटाणुनाशक पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, बोली लगाने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कीटाणुनाशक नि.आ.सू. में उल्लिखित कीटाणुनाशक से बेहतर है।

स्थान : _____

मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के
हस्ताक्षर, कंपनी के मोहर के साथ

तारीख : _____

अनुबंध - II

घोषणा

(तकनीकी बोली के साथ विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड किया जाए)

संगठन का नाम _____

संगठन का पता _____

प्राधिकृत / संपर्क व्यक्ति का नाम _____

प्राधिकार (यदि कोई हो) और

प्राधिकृत व्यक्ति / प्रोप्राइटर का नमूना हस्ताक्षर _____

पंजीकरण सं. (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति -----

संलग्न करें)

मैं, _____, एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने निविदा सूचना के साथ दी गई निबंधन और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई हैं और मुझे / हमें (मेरे/ हमारे द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज की एक प्रति इसके साथ संलग्न है) पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं तथा ऊपर दी गई जानकारी मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण तथा सही है. मैं / हम समझते हैं कि किसी भी स्तर पर उपर्युक्त कथन में किसी भी प्रकार की विचलन/ जाली जानकारी के मामले में, मेरी / हमारी फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

मैं, -----, एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मुझे किसी भी मंत्रालय/सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मैं, _____ आगे यह स्पष्ट करता हूं कि मेरे / हमारे द्वारा किसी अन्य मंत्रालय/ सरकारी संगठन के लिए समान कार्य के लिए उद्धृत दरें मेरे / हमारे द्वारा उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।

स्थान: _____

मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
हस्ताक्षर कंपनी के मोहर के साथ

तारीख : _____

अनुबंध - III

वित्तीय बोली

क्र.सं	कीटाणुनाशक का नाम	दर, प्रति घन फीट (करो के छोड़कर) (रू. में)	कर की दर, % में (रू.)	यथा लागू कर	दर, प्रति घन फीट (करो सहित) (रू. में)

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
1.	तालिका 1 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए सं.लो.से.आ. परिसर (लगभग 4.0 लाख वर्ग फीट कारपेट एरिया और 22 स्टाफ कारों सहित) के कार्यालयों का सैनीटाइज़ेशन/ कीटाणुशोधन	सेप्टोशील्ड डीएस/ Sceptshield DS				
		विरेक्स VIREX-II/ 256				
		एलसटासन सिलेवक्स 150 Alstasan Silvox 150				
		समग्र दरें	रू....			

टिप्पणी :-

- 1) कॉलम 'ग' में सूचीबद्ध उपर्युक्त सभी मदों के लिए दरों को उद्धृत करना अनिवार्य है।
- 2) एल 1 बोलीदाता का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा उद्धृत समग्र दरों के न्यूनतम कुल के आधार पर किया जाएगा.

अनुबंध - IV

तकनीकी बोली प्रस्तुत करने संबंधी जांच सूची (तकनीकी बोली)

(बोलीदाता यह जांच कर लें कि उनकी बोली के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए गए हैं)

क्र.सं	संलग्न दस्तावेज का नाम	हाँ /नहीं
1	रू.25,000/- का ईएमडी या ईएमडी में छूट संबंधी प्रमाणपत्र (पैरा 5.1 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
2	संलग्न - 1 विनिर्माता द्वारा सिफारिश की गई आइसोलेशन अवधि (पैरा 2 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
3	दिल्ली / एनसीआर में पंजीकृत कार्यालय या प्रचालनरत कार्यालय के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (पैरा 6.5 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
4	कृतक(रोडेंट) और कीट नियंत्रण या कीटाणुशोधन/ धूमन स्प्रे सेवाओं के संबंध में 5 वर्षों के कार्य आदेश / पीओ की प्रतियां (पैरा 6.4 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
5	पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के दौरान शुद्ध लाभ / हानि प्रदर्शित करने वाले वार्षिक कारोबार के समर्थन में विधिवत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज। (पैरा 6.6 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
6	फर्म के जीएसटी पंजीकरण की प्रति (पैरा 6.7.2 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
7	आयकर पैन नं की प्रति (पैरा 6.7.3 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
8	पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की आयकर विवरणी (पैरा 6.7.4 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
9	अनुबंध II -निबंधन और शर्तों की स्वीकृति और फर्म की ब्लैक लिस्ट में नाम न होने के बारे में घोषणा पत्र (पैरा 6.7.5 और 6.7.6 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
10	कीटनाशक/कीटाणुनाशक /रसायन /सैनीटाइज़ेशन स्प्रे के लिए सरकार से प्राप्त लाइसेंस की प्रति (पैरा 6.2 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
11	निविदा आमंत्रण सूचना की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति	हाँ /नहीं